# शिक्षा संबंधी दस्तावेज़ों में भाषा*

आज़ादी के बाद, पिछले सारे शिक्षा संबंधी दस्तावेज़ों में मातृभाषा को समझ के माध्यम (खासतौर से प्राथमिक शिक्षा) के रूप में लागू किए जाने की बात कही गई और बच्चों की समझ में सहायक उनकी अपनी भाषा, उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति को महत्त्व दिया गया। नीचे विभिन्न दस्तावेज़ों में दिए गए भाषा संबंधी सुझावों को दिया जा रहा है–

## शिक्षा आयोग की रिपोर्ट – स्कूली पाठ्यचर्या 1964-66

आज हमें प्राथमिक शिक्षा में जिस आधारभूत प्रश्न का समाधान करना है, वह है – मातृभाषा में अच्छी तरह पढ़ाना और निरक्षरता को समाप्त करना। उद्योग की दृष्टि से उन्नत देशों में भी पहले प्राथमिक शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम केवल एक भाषा के अध्ययन पर आधारित रहता था, शिक्षा के विकसित होने और आर्थिक स्थिति में समृद्धि आने के बाद ही उन्होंने प्राथमिक अवस्था में दूसरी भाषा शुरू की।

हमारा विश्वास है कि अँग्रेज़ी जैसी विदेशी भाषा सीखने से पहले मातृभाषा पर पर्याप्त अधिकार हासिल कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त अवर प्राथमिक कक्षाओं में, जिनमें लाखों छात्रों का नामांकन होता है, अँग्रेज़ी के प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी, लेकिन उनकी पर्याप्तता नहीं है। यदि उनकी पर्याप्त उपस्थिति उपलब्ध हो जाए तो भी इस कार्यक्रम से शिक्षा के लिए नियत की गई निधि पर बहुत बोझ पड़ेगा। हमारी राय में, यह बहुत बड़ा कार्य है और व्यर्थ में इसके पीछे पड़ने पर स्कूल की व्यवस्था परअँग्रेज़ी का स्तर उठने की बजाय गिर जाएगा। इसलिए हम सिफ़ारिश करते हैं कि विदेशी भाषा के रूप में अँग्रेजी का अध्ययन कुछ-एक स्कूलों में प्रायोगिक आधार पर शुरू करने के सिवाय, पाँचवीं कक्षा से पहले शुरू नहीं होना चाहिए।

*– शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, 1964-66, पृष्ठ 218-219*

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1968

भारतीय भाषाओं और साहित्य का समुचित विकास और शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास एक-दूसरे पर निर्भर हैं। इसके अभाव में लोगों की सृजनात्मक ऊर्जा का विकास नहीं हो सकेगा, शिक्षा के स्तर में इज़ाफा नहीं होगा, लोगों तक ज्ञान की पहुँच नहीं होगी और पढ़े-लिखे तथा आम जनता के बीच की खाई ऐसी ही बनी रहेगी, भले ही बढ़े नहीं पर कम नहीं होगी। कई भाषाएँ पहले से ही शिक्षा के माध्यम के रूप में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर प्रयोग

* प्रस्तुत लेख राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक *समझ का माध्यम* से लिया गया है।

की जा रही हैं। उच्च शिक्षा में भी इसे लागू किए जाने की ज़रूरत है।

**हिंदी-** हिंदी के विकास के लिए संभव प्रयास किया जाना चाहिए। धारा 351 को ध्यान में रखते हुए संपर्क भाषा के रूप में तथा भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में हिंदी को विकसित किए जाने की ज़रूरत है। गैर-हिंदी प्रदेशों में जहाँ कहीं भी उच्च शिक्षा के लिए हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया जा रहा है, उसे बढ़ावा देना चाहिए। (नोट – यह बात सभी भारतीय भाषाओं के संदर्भ में हो सकती है।)

**अंतर्राष्ट्रीय भाषाएँ-** अंग्रेज़ी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। विशेष रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का ज्ञान लगातार बढ़ रहा है। इस विकास के साथ भारत को मिलकर ही नहीं चलना है बल्कि उस विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देना है। इस उद्देश्य के लिए अंग्रेज़ी के ज्ञान को विशेष रूप से मजबूत बनाना होगा।

*- राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1968, पृष्ठ 3-4*

त्रिभाषा सूत्र की बात भी 1968 की नीति में बल देकर कही गई, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में इस प्रकार रखा गया है –

## त्रिभाषा सूत्र

- स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा।
- द्वितीय भाषा
  - हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेज़ी, और
  - गैर-हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेज़ी होगी।
- तृतीय भाषा
  - हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेज़ी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा, जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।
  - गैर-हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेज़ी होगी या आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।

*– भारतीय भाषाओं का शिक्षण-आधार पत्र, पृष्ठ 13*

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986

1986 की शिक्षा नीति ने 1968 की शिक्षा नीति के आधार पर भाषा शिक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की है। यह नीति उच्च शिक्षा के स्तर पर भी क्षेत्रीय भाषा को ही माध्यम भाषा के रूप में इस्तेमाल करने पर ज़ोर देती है, त्रिभाषा सूत्र को पुरज़ोर तरीके से लागू किया जाए, शिक्षा में हर स्तर पर बच्चों के भाषिक विकास में ध्यान दिया जाए। अंग्रेज़ी और अन्य विदेशी भाषाओं की पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराई जाए, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को विकसित किया जाए जैसा कि संविधान की धारा 351 में निहित है। ... एक भाषा से दूसरी भाषा में किताबों के अनुवाद तथा द्विभाषी शब्द कोशों पर गंभीरता से काम किए जाने की ज़रूरत है।

*– क्रियान्वयन का कार्यक्रम -1992, पृष्ठ 94*

1986 की नीति क्रियान्वयन के सुझावों में भारतीय भाषाओं के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं –

1. आधुनिक भारतीय भाषाओं में पाठ्यसामग्री/ संदर्भ पुस्तकें तैयार कर, प्रकाशित की जाएँ।

2. विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जाए।
3. पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों के अनुवाद अँग्रेज़ी से भारतीय भाषाओं में किए जाएँ।
4. किए जाने वाले कार्यों की निरंतर मॉनीटरिंग हो।

समझ के माध्यम की दृष्टि से भी ये सुझाव ध्यान देने योग्य हैं –

## पटनायक – 1986 (अ)

- स्कूली शिक्षा के माध्यमिक या उच्चतर स्तर पर शिक्षा का माध्यम, धीरे-धीरे क्षेत्रीय भाषा या राज्य स्तरीय भाषा या हिंदी या अंग्रेज़ी हो सकता है।
- हमारे अनुसार प्राथमिक शिक्षा मुख्यत भाषा-शिक्षा है, इसलिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी अनिवार्य विषयों के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए।
- मनुष्य भाषाओं को सीखने की असीम क्षमता रखता है, खासकर जब वह कम उम्र का होता है। अंग्रेज़ी भी प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जा सकती है, यदि पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो। महज़ कुछ सालों की अँग्रेज़ी की शिक्षा पर ज़ोर डालकर हम चाहते हैं कि अँग्रेज़ी की पढ़ाई बहुभाषिक संदर्भ में ही बुनावट लिए होनी चाहिए। सामान्य मत के विपरीत, भाषाएँ एक - दूसरे के साथ ही विकास करती हैं।
- यह ज़ाहिर है कि तीन भाषाएँ त्रिभाषा सूत्र में न्यूनतम हैं। यह इस सूत्र की ऊपरी सीमा नहीं है। संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, जहाँ इसकी प्रकृति शास्त्रीय संस्कृत से बहुत अलग होनी चाहिए।
- शास्त्रीय और विदेशी भाषाएँ अपनी-अपनी तरह से पढ़ी जानी चाहिए ये व्याकरणिक जटिलता की नयी संभावनाओं को जन्म देती हैं। ये परंपराएँ, संस्कृतियाँ और लोग, जो कि पहुँच के बाहर हैं, उन तक पहुँचने में मदद करती हैं।

*– भारतीय भाषाओं का शिक्षण-आधार पत्र, पृष्ठ 16*

## क्रियान्वयन का कार्यक्रम – 1992

### व्यावहारिक त्रिभाषा - सूत्र का आधार

व्यावहारिक त्रिभाषा – सूत्र के निर्माण में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों से सहायता मिल सकती है–

1. जब तक अंग्रेज़ी, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का मुख्य माध्यम और केंद्र तथा अनेक राज्यों में प्रशासन की भाषा बनी रहेगी तब तक उसको ऊँचा स्थान मिलता रहेगा। विश्वविद्यालयों में, प्रांतीय भाषाओं के उच्चतर शिक्षा का माध्यम बन जाने के बाद भी सभी छात्रों के लिए अंग्रेज़ी का व्यावहारिक ज्ञान बहुत ही उपयोगी होगा और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वालों के लिए उसमें काफ़ी योग्य होना आवश्यक भी।
2. स्कूल में किसी भाषा के अध्ययन में कितनी योग्यता प्राप्त की जा सकती है, यह बात केवल इस पर ही निर्भर नहीं है कि कोई भाषा कितने वर्षों तक सीखी जाती है, अपितु इस पर भी निर्भर है कि छात्रों के सामने क्या अभिप्रेरणा है, भाषा किस अवस्था पर सीखी जा रही है तथा उपलब्ध शिक्षक और उपागम और शिक्षण-पद्धतियाँ किस प्रकार की हैं। उचित सुविधाओं के अभाव में लंबी

अवधि तक भाषा पढ़ाने से भी अच्छे परिणाम नहीं निकलते जबकि अनुकूल परिस्थितियों के होने पर कम समय में भी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। यद्यपि बहुत कम आयु में ही बच्चे को दूसरी भाषा सिखाने के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे विचार से प्राथमिक स्कूलों में लाखों छात्रों को भाषा की शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना बहुत कठिन काम होगा।

3. हिंदी या अंग्रेज़ी को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्यत: किस अवस्था से शुरू किया जाए और वह कितनी अवधि तक सिखाई जाए। यह स्थानीय अभिप्रेरणा और आवश्यकता पर निर्भर करता है और इसे प्रत्येक राज्य के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।
4. किसी भी अवस्था पर चार भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए।

## राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा – 1988, 2000

1988 और 2000 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं में यह प्रस्ताव दिया गया है कि 'स्कूली शिक्षा के दौरान सभी स्तरों पर या कम से कम आरंभिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए' (एन.सी.एफ.एस.ई.-2000)। लेकिन यहाँ मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के बीच के अंतर की गंभीर समस्या को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। इस रूपरेखा में कहा गया है कि यदि क्षेत्रीय भाषा विद्यार्थी की मातृभाषा नहीं है' तो उसकी प्रथम दो साल तक की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से हो सकती है। तीसरी कक्षा और उसके बाद से 'क्षेत्रीय भाषा को माध्यम भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है' (एन.सी.ई.आर.टी.-2000)।

*– भारतीय भाषाओं का शिक्षण-आधार पत्र, पृष्ठ 15-16*

## राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005

आज हम यह निश्चित रूप से जानते हैं कि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। त्रिभाषा-फॉर्मूला भारत की भाषा-स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। यह एक रणनीति है, जो कई भाषाएँ सीखने के मार्ग को प्रशस्त करती है। इसे कार्य और भाव दोनों रूपों में अपनाने की आवश्यकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव प्रसार है। निम्नलिखित दिशा-निर्देश इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं –

- भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं बल्कि रणनीति तैयार करने के लिहाज़ से भी ताकि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सके।
- बच्चों की घरेलू भाषा, जैसा कि 3.1 में परिभाषित किया गया है, स्कूल में शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए।
- अगर स्कूल में उच्चतर स्तर पर शिक्षा बच्चों की घरेलू भाषा के माध्यम से ही दी जाए यह भी ध्यातव्य है कि हम बच्चे की घरेलू भाषाओं को सम्मान दें।

हमारे संविधान की धारा 350-क के मुताबिक 'प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक-वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।'

*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005, पृष्ठ 42*

इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) के लिए निर्मित फ़ोकस समूह 'भारतीय भाषाओं का शिक्षण' में यह सुझाव देता है – विद्यालय स्तर पर विशेषकर प्राथमिक स्तर की शिक्षा में अनुदेशों का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। 1986 में एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा भाषा के, अध्ययन के लिए गठित समिति ने सुझाव दिया था कि आरंभिक शिक्षा में माध्यम के रूप में मातृभाषा ही प्रयुक्त होनी चाहिए।

भारतीय संदर्भ में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि –

- यह लोगों को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भागीदारी योग्य बनाती है।
- महज़ कुछ अभिजात्य की गिरफ़्त से ज्ञान को मुक्त कराती है।
- यह परस्पर सहयोगी और परस्पर निर्भर समाज के निर्माण में सहायक होती है।
- अधिक-से-अधिक लोगों को अपना मत रखने का अवसर प्रदान करती है और इसलिए जनतंत्र को बेहतर सुरक्षा आधार देने में कारगर सिद्ध होती है।
- सूचना के विकेंद्रीकरण की राह खोलती है और नियंत्रित मीडिया की जगह स्वतंत्र मीडिया के विकास में सहयोगी की भूमिका निभाती है। साथ ही अधिक-से-अधिक लोगों को शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास के लिए भी अवसर प्रदान करती है।

*– भारतीय भाषाओं का शिक्षण-आधार पत्र, पृष्ठ 14-15*

❑❑❑